

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 1973/ज्यैष्ठ 23, 1895

No. 141]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 1973/JYAISTHA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th June, 1973

SUBJECT :—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1973—March 1974.
(Amendment No. 187).*

No. 95-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Volume II) for the period April 1973 March 1974 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC (PN)/73 dated the 2nd April, 1973.

2. The following corrections may be made at the appropriate place indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Correction
74	A. 76	Entry (a) under Col. 4 may be corrected to read as under:—
	Col. 4	“(a) Infra Red Lamps/sheathed element (100%)”

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 जून, 1973

विषय.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 18).

संख्या 96—आई० टी० सी० (पीएन)/ 73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 46—आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 2-4-1973 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक—वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए, निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वा० 2)
की पृष्ठ संख्या

संदर्भ

संशोधन

74.	ए. 76	कालम 4 के अन्तर्गत प्रविष्टि (एन) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— कालम 4 “(एन) इन्फ्रा रेड लैम्प्स/ शीथड् एलिमेन्ट (10 प्रतिशत) ।”
-----	-------	---

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।